मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 5821/मा0 जोन-डी/21

दिनांक : 15-07-2021

संशोधित–पत्र

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

मैसर्स सरस्वती सागर द्वारा पार्टनर श्री वरूण अग्रवाल पुत्र श्री अमित अग्रवाल, निवासी–04, विजय नगर, मेरठ के आवेदन संख्याः CC20200210174120023 दिनांकः 10.02.2020 के माध्यम से खसरा संख्याः 242 पार्ट व 243 ग्राम अब्दुल्लापुर, गंगा नगर, मेरठ की कुल भूमि क्षेत्रफल 13845.00 वर्ग मी0 पर स्थित सरस्वती सागर कालोनी के स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्याः 07/14 का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु दिनांकः 07.09.2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतः उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–15क (2) के अनुसार कालोनी के आन्तरिक विकास कार्यो को पूर्णता प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है:–

1. जब तक कालोनी के विकास कार्यो को नगर निगम/आर.डब्लू.ए. को हस्तांतरित नही किया जाता, तब तक विकासकर्ता को विकास कार्यो का रख–रखाव करना होगा।
2. पार्को तथा खुले स्थानों को विक्रय नही किया जायेगा।
3. नाली तथा सीवर की नियमित सफाई की जायेगी।
4. कूडे का निस्तारण एम.एस.डब्लू. रूल्स, 2016 के अनुरूप किया जायेगा।
5. पूर्व में बन्धक भूखण्ड संख्याः 64 व 65 नगर निगम/आर.डब्लू.ए. को हस्तांतरित होने तक बन्धक ही रहेगे।
6. विभिन्न विभागों द्वारा दी गयी अनापत्तियों में उल्लेखित शर्तो का अक्षरंशः पालन करना होगा।
7. यदि प्राधिकरण की कोई अन्य देयता है, तो भविष्य में मांगे जाने पर धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।

संलग्नकः– मानचित्र की प्रति।

Ravi 7/2021

Vijay 14/07/2021

नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।